न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–53/15 ((RCMS No. 2015/00047) 18 आयुध अधिनियम 1959)

माधोसिंह पुत्र धर्म सिंह जाति गुर्जर निवासी बनकी थाना हिण्डौन जिला करौली

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये ए.पी.पी. भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 04.02.2015

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य दिनांकः 16.03.2018

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 04.02.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 31.01.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/516 दिनांक 04.02.2015 से 03 अनुज्ञापत्रधरियों थाना सदर हिण्डौन जिला करौली के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 01 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। अपीलान्ट ग्राम बनकी थाना हिण्डौन जिला करौली का निवासी है जो एक जंग क्षेत्र है जहॉ पर अखबार नही आते हैं इस कारण अगर कोई सूचना इस बाबत् अखबार में प्रकाशित की है तो वह प्रार्थी/ अपीलान्ट को नही मिल सकी है और रजिस्टर्ड डाक से कोई भी सूचना अभी तक अपीलान्ट को नही दी है। अपीलान्ट के शस्त्र निलम्बित करने से पूर्व अपीलान्ट के चरित्र बाबत् कोई रिपोर्ट नही मंगाई गई। अपीलान्ट आपराधिक व्यक्ति नही है और न ही अपीलान्ट के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र की अवधि दिनांक 31.12.2015 तक थी। अपीलान्ट ने आर्म्स एक्ट की शर्तों का कभी भी उलंघन नही किया। अपीलान्ट ने थाना हिण्डौन में शस्त्र जमा करा दिया था। जिसकी रसीद अपीलान्ट को दी गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/पंआचु. 15/9356 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र थाने में जमा नही कराया। जिला पुलिस अधीनस्थ करौली ने पत्रांक 1141 दिनांक 31.01.15 से शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र थाने में जमा नही करावा कर आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करना बताया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नही कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 31.01.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/516 दिनांक 04.02.2015 से 03 अनुज्ञापत्रधरियों थाना सदर हिण्डौन जिला करौली के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 01 पर दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। अपीलान्ट ने बाद में अपने शस्त्र को पुलिस थाना सदन हिण्डौल पर जमा करा दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 03 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। उक्त

Web Copy - Not Official

आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 516 दिनांक 04.02.2015 अपीलान्ट के क्रमांक 01 अनुज्ञापत्र सं0 1455/1978 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official